

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 115 / वित्त / ब-4 / चार / 2014,  
प्रति,


नया रायपुर, दिनांक 25.04.2014

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय, नया रायपुर


विषय:- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र  
क्षेत्रीय एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं के पुनर्गठन के  
संबंध में

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय एवं  
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं का पुनर्गठन करते हुए ऑफ बजट  
योजनाओं के केन्द्रांश को राज्य के बजट के माध्यम से प्रदाय करने का निर्णय लिया  
गया है। राज्य के वर्ष 2014-15 के बजट में इन योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान  
किया गया है। कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा  
इस कारण से योजनाओं की केन्द्रांश राशि विमुक्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि विभाग  
द्वारा बजट में योजनाओं के पुनर्गठित स्वरूप में प्रावधान होने की जानकारी भारत  
सरकार के संबंधित विभाग को नहीं दी गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग की ऐसी योजनाओं के वर्ष 2014-15  
के बजट में प्रावधान की जानकारी भारत सरकार के संबंधित विभाग को तत्काल प्रेषित  
करने का कष्ट करें, ताकि समय पर केन्द्रांश की राशि प्राप्त हो सके।

  
(डी. एस. मिश्र)  
अपर मुख्य सचिव

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, बलोदाबाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय
9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय
10. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
14. समस्त संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
17. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
वित्त विभाग